

सायल उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 101/2023

तारीख रजू :- 3-7-2023

मिशाल आई0डी0 नम्बर 2023/211

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

दिनेश पुत्र भगवत जाति जाट निवासी जटनंगला तहसील हिण्डौन जिला करौली  
राजस्थान

उनवान

--सायल 01

अमित पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी जटनंगला तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली  
राजस्थान

बनाम

--गैरसायलान-08

दिनांक	फर्द अहकाम
3-7-2023	<p>आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को भूमि से बेदखल नहीं करने, रहनव्यय नहीं करने, भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने हेतु, मजामहत मदाखलत नहीं करने हेतु गैरसायल को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1048, 657, 652, 673, 674, 675, 701, 742, 491, 1073, 138, 676, 729 वाके ग्राम जटनंगला तहसील हिण्डौन में आगामी तिथी तक मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 24.07.2023 को पेश हों।</p> <p>(सुरेश कुमार हरसोलिया) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
24/07/23	<p>वकूलाय उपस्थित/पीठासील अधिकारी <del>सुरेश कुमार हरसोलिया</del> सहारे है। गतानुसार दिनांक ..... को पेश हों। 24/07/23</p>
25/07/23	<p>पत्रावली आज पेश हुई। सायल वकील व सायल उप/सायल व सायल वकील ने अर्जत करमा है कि सायल प्रकरण को आगे नहीं चलना चाहते हैं। सायल ने प्रकरण नोट प्रेस में स्वारिज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर नोट प्रेस में स्वारिज करवाने माँगे हैं।</p>

नोट  
डेली  
फिलिनासिद

.....किस्म.....

.....उपखण्ड.....

# लय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

## फर्द अहकाम

अति. मु.नं. 101/2023 उपखण्ड हिण्डौन विस आर्केट  
 का 0 पार्कना कर अहकाम निषेधाज्ञा नंबर 48255  
 में इन्वॉयस किया जाता है। पत्रावली के संलग्न  
 होकर नम्बर से कर दे।

उपखण्ड अधिकारी  
 हिण्डौन सिटी ( करौली )